

# कार्यालय:-जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार।

## अति अल्पकालीन निविदा (Very Short Term Tender)

(इच्छा की अभिव्यक्ति)

मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, रांची के पत्रांक-(N)1672 (अनु0) दिनांक-01.06.2017 के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत आम वृक्षारोपण बागवानी हेतु सामग्री का क्रय किया जाना है। इसी क्रम में लातेहार जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत आम बागवानी के लिए प्रखण्ड-मनिका, बरवाडीह, गारु एवं महुआडाँड के निम्न पंचायतों में चिन्हित स्थलों पर रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फफुंदनाशक सामग्री के आपूर्ति हेतु जिला में पंजीकृत ग्राम संगठन/कृषक उत्पाद समूह/कृषि उत्पादक कम्पनी/कृषक का-आपरेटिव जिनके पास नीचे अंकित सामग्रियों के कारोबार करने का प्रमाण पत्र एवं Tin नम्बर उपलब्ध है, इच्छुक निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।


क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	ग्राम/ पंचायत का नाम	आपूर्ति की जानेवाली रसायन का नाम
1	2	3	4
1	मनिका	औराटांड/ जुंगूर, डुमरटांड/ जुंगूर, दुन्दू/ दुन्दू बिचलिदाग/ दुन्दू करमाही/ दुन्दू बैराटौला/ जान्हों, सधवाडीह/ जान्हों, उचवाबाल, कुरुन्द/ पल्हेया	<ul style="list-style-type: none"> <li>केंचुआ खाद</li> <li>नीम/ करंजखली, बोन मिल/ एस0एस0पी0, डोलोमाईट, ट्राईकोडर्मा स्पेसीज।</li> <li>फफुन्दनाशक (मैनकोजेब+कार्बेण्डाजिम, कॉपर आक्सी क्लोराईड)</li> <li>कीटनाशक दवा (क्वीनालफोस/ क्लोरपाईरीफोस/ फयूराडॉन 3जी0/ फेनवालरेट)</li> <li>दीमकनाशक दवा (पाईरीथेरम (बाईपलेक्स टी0सी0) और इक्वीमैलेण्ट)</li> <li>रासायनिक खाद (एन0पी0के0)</li> <li>माईक्रो न्यूट्रीयेन्ट, एग्रोमीन/ किचेन-गार्डेन</li> <li>गोबर खाद, बाँस, कील, तार आदि</li> <li>यूरिया, पोटस</li> </ul>
2	बरवाडीह	जुरुहार/ छिपादोहर, बरवाडीह/ बरवाडीह, मुरगीडीह/ मंगरा, मुरु/ उकामाड़, हंसराज टोला/ छिपादोहर, अखरा/ बेतला	
3	गारु	सिरम/ कोटाम	
4	महुआडाँड	पुटरुंगी/ चम्पा	

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फफुंदनाशक एवं अन्य सामग्री के आपूर्ति हेतु आवेदक द्वारा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी के माँग के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति करनी होगी :-

- निविदा के साथ अधिकृत आपूर्तिकर्ता/निर्माता होने का प्रमाण-पत्र
- गुणवत्ता का टेस्ट रिपोर्ट का प्रमाण-पत्र Certified Agency के द्वारा, आयकर तीन वर्ष का, बिक्रीकर, आधार, पैन नम्बर का क्लीयरेन्स प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- संस्था काली सूची में नहीं डाली गयी हो, इसके लिए शपथ-पत्र देना आवश्यक है।
- आपूर्तिकर्ता को उर्वरक/खाद/कीटनाशक/फफुंदनाशक का क्रय-विक्रय एवं आपूर्तिकर्ता के रूप में कम-से-कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है।
- आपूर्तिकर्ता का दूकान विगत 5 वर्षों से सरकारी प्रावधान के अनुरूप पंजीकरण/ अनुज्ञप्तिधारी होना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ता का दूकान का टीन नम्बर, पैन नम्बर एवं वार्षिक Turnover कम-से-कम 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रू0 का होना चाहिए।



- संस्था के पास न्यूनतम विगत तीन वर्षों का अंकेंक्षण तथा आयकर रिटर्न की प्रति, बिक्रीकर, वानिज्यकर से संबंधित अद्यतन स्वच्छता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ता/संस्था राज्य के किसी भी जिला/प्रशासन द्वारा काली सूची में नहीं डाली गयी हो।
- आपूरित सामग्री/रसायन गुणवत्तापूर्ण एवं आई0एस0आई0 मार्क का होना चाहिए तथा एक्सपाईरी दवा आपूर्ति नहीं होनी चाहिए अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- कार्यस्थल तक सामग्री आपूर्ति करने हेतु सभी प्रकार के कर, परिवहन एवं हथालन व्यय आदि सहित दर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्ति किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता अपनी पक्की रसीद के साथ संबंधित लाभुकों से एक संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही पंचायत में जमा करेगा।
- आपूर्तिकर्ता कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं ऐसी स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा।
- निविदादाता को अग्रधन के रूप में **10,000/- (दस हजार) ₹0** उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, लातेहार के नाम से जमा करना होगा।
- मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक-1632 दिनांक-01.06.2017 के आलोक में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी एवं अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, महुआडॉड़, गारू एवं बरवाडीह के आदेश एवं आपूर्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निर्दिष्ट स्थल पर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी।
- निविदा दिनांक-22.06.2017 को अपराह्न 04:00 बजे निविदादाता या प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। लिफाफे में साफ-साफ शब्दों में Plantation of MGNREGA अंकित कर जमा कर सकते हैं।
- निविदा के शर्तों में संशोधन करने या बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा आपूर्तिकर्ता को कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री का आपूर्ति उपरोक्त निर्धारित एवं चिन्हित स्थल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है तथा आपूर्ति की गयी सामग्री से संबंधित लाभुक द्वारा संतुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही विपत्र के विरुद्ध भुगतान सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री ससमय नहीं कराये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- निविदा रद्द/संशोधन/समय/तिथि परिवर्तन का अधिकार सक्षम पदाधिकारी में निहित होगा।
- निविदा की प्राप्ति दिनांक- 15.06.2017 से 22.06.2017 के अपराह्न 1:00बजे तक ही कार्यालय में प्राप्त की जायेगी।
- निविदादाता को Technical एवं Financial Bid दो अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफा में देना होगा।
- सीलबन्द अभिव्यक्ति में प्राप्त कागजात/प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कागजात अलग से मान्य नहीं होगा।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा रसायन/उर्वरक/कीटनाशी को आवश्यकता के अनुरूप चिन्हित पंचायत में उपलब्ध कराया जायेगा।

  
21/06/17

उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
लातेहार।

कार्यालय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार।

पत्रांक:- 4२३ /डी0आर0डी0ए0, लातेहार दिनांक:- 1७-०६-2०1७

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
लातेहार।

सेवा में,

जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी,  
लातेहार।

विषय :-

निविदा प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मनरेगा अन्तर्गत आम वृक्षारोपण बागवानी हेतु सामग्री का क्रय करने के लिए निविदा प्रकाशन हेतु सामग्री (हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी) संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि निविदा प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में करने की कार्यवाही की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
लातेहार।



## कार्यालय:-जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार।

### अति अल्पकालीन निविदा (Very Short Term Tender)


(इच्छा की अभिव्यक्ति)

मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, रांची के पत्रांक-(N)1672 (अनु0) दिनांक-01.06.2017 के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत आम वृक्षारोपण बागवानी हेतु सामग्री का क्रय किया जाना है। इसी क्रम में लातेहार जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत आम बागवानी के लिए प्रखण्ड-मनिका, बरवाडीह, गारू एवं महुआडाँड़ के निम्न पंचायतों में चिन्हित स्थलों पर रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फफुंदनाशक सामग्री के आपूर्ति हेतु जिला में पंजीकृत ग्राम संगठन/कृषक उत्पाद समूह/कृषि उत्पादक कम्पनी/कृषक का-आपरेटिव जिनके पास नीचे अंकित सामग्रियों के कारोबार करने का प्रमाण पत्र एवं Tin नम्बर उपलब्ध है, ईच्छुक निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	ग्राम/ पंचायत का नाम	आपूर्ति की जानेवाली रसायन का नाम
1	2	3	4
1	मनिका	औराटांड/जुंगूर, डुमरटांड/जुंगूर, दुन्दू/दुन्दू, बिचलिदाग/दुन्दू, करमाही/दुन्दू, बैराटौला/जान्हों, सधवाडीह/जान्हों, उचवाबाल, कुरुन्द/पलहेया	<ul style="list-style-type: none"> <li>केंचुआ खाद</li> <li>नीम/ करंजखली, बोन मिल/एस0एस0पी0, डोलोमाईट, ट्राईकोडर्मा स्पेसीज।</li> <li>फफुन्दनाशक (मैनकोजेब+कार्बेण्डाजिम, कॉपर आक्सी क्लोराईड)</li> <li>कीटनाशक दवा (क्वीनालफोस/क्लोरपाईरीफोस/फ्युराडॉन 3जी0/फेनवालरेट)</li> <li>दीमकनाशक दवा (पाईरीथेरम (बाईफ्लेक्स टी0सी0) और इक्वीभैलेण्ट)</li> <li>रासायनिक खाद (एन0पी0के0)</li> <li>माईक्रो न्यूट्रीयेन्ट, एग्रोमीन/किचेन-गार्डन</li> <li>गोबर खाद, बाँस, कील, तार आदि</li> <li>यूरिया, पोटास</li> </ul>
2	बरवाडीह	जुरुहार/छिपादोहर, बरवाडीह/बरवाडीह, मुरगीडीह/मंगरा, मुरु/उकामाड़, हंसराज टौला/छिपादोहर, अखरा/बेतला	
3	गारू	सिरम/कोटाम	
4	महुआडाँड़	पुटरुंगी/चम्पा	

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फफुंदनाशक एवं अन्य सामग्री के आपूर्ति हेतु आवेदक द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी, मनिका, बरवाडीह, गारू एवं महुआडाँड़ के आदेश के आधार पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। निविदा प्राप्ति दिनांक-22.06.2017 के अपराह्न 01:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार में प्राप्त की जायेगी तथा दिनांक-22.06.2017 को अपराह्न 04:00 बजे निविदादाता या प्रतिनिधि के समक्ष निविदा खोली जायेगी।

नोट :- सामग्री आपूर्ति की शर्त की विस्तृत विवरणी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के सूचना पट्ट एवं लातेहार जिला के वेबसाईट- [www.latehar.nic.in](http://www.latehar.nic.in) पर देखा जा सकता है।

  
(अनिल कुमार सिंह)

उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
लातेहार।